

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

संख्या— 12/चक0मु0-5-05/2005-55/चक0, पटना दिनांक 16/08/2019

चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के विभिन्न उप निदेशालयों/चकबंदी कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 09.08.2019 को आहुत प्रोन्नति-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम 5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे/मैट्रिक्स पे-लेवल में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत 12, 24 एवं 10, 20, 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रारूपक							
क्र०	नाम, पदनाम जन्मतिथि अवधि/वृत्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि/सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० (तिथि एवं वेतनमान ग्रेड पे सहित/मैट्रिक्स पे-लेवल)			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय एम०सी०पी०	तृतीय ए०ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री हरिनन्द प्रसाद रू०पी० प्रारूपक 01.03.1949 / 28.02.2009)	उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर	17.08.1968 01.04.1986			01.01.2009 (9300-34800 / 4600)	
2	श्री धनुष साह रू०पी० प्रारूपक 01.02.1949 / 31.01.2009)	उप निदेशक, चकबंदी, मुजफ्फरपुर	22.07.72 28.03.90			01.01.2009 9300-34800 4600	
लिपिक							
3	श्री महेश्वर सिंह संयोजित लिपिक 06.03.1944 / 21.03.2002)	उप निदेशक, चकबंदी, सहरसा	29.03.1976 29.03.1986	09.08.99 (4500-7000)	29.03.2000 (5000-8000)	-	
मोहरर							
4	श्री जालेन्द्र लाल संयोजित मोहरर (19.12.1953 / 31.12.2013)	उप निदेशालय चकबंदी, भोजपुर	28.01.75 19.06.2012	09.08.99 (4500-7000)	09.08.99 (5000-8000)	-	विभागीय सेवा परिभाषा अनुसार रहने के कारण दिनांक 01. 01.2009 से तृतीय एम०ए०सी०पी० रेयता पर विचारणीय नहीं।
अमीन							
5	रू० हरिकृष्ण कुमार अमीन, 04.09.1956 / 03.12.2015/गृह)	चकबंदी कार्यालय इटाही बक्सर	30.05.1979 22.01.1996	09.08.99 4000-6000	30.05.2003 4500-7000	30.05.2009 9300-34800 / 4200	

(2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।

(3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

(4) प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।


16/8/19

(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-12/चक्रगुठ 5-05/2005-755/चक्र पटना, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि - उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/मुजफ्फरपुर/सहरसा/चकबंदी पदाधिकारी, इटाही (बक्सर)/राजपुर (बक्सर)/प्राणपुर(कटिहार) एवं सभी संबंधित कर्मियों/प्रशाखा पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय/सभी संबंधित स्थापना सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।